भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3632

10 दिसम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: शीतागार का निर्माण

3632. श्री तोखेहो येपथोमीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान नागालैंड में शीतागार के निर्माण के लिए प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) शीतागार के निर्माण की प्रगति क्या है; और

(ग) इन शीतागारों के कब तक कार्यशील होने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें शीतगारों की स्थापना सहित फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम) के विकास के लिए सहायता शामिल है। एमआईडीएच के तहत, शीतागार के निर्माण सहित विभिन्न बागवानी क्रियाकलापों के लिए नागालैंड राज्य को वर्ष 2016-17 के दौरान 31.50 करोड़ रू., वर्ष 2017-18 के दौरान 41.50 करोड़ रू. तथा वर्ष 2018-19 के दौरान 32.00 करोड़ रू. आवंटित किए गए थे। तथापि, नागालैंड सरकार ने यह सूचना दी है कि इस अवधि के दौरान शीतागार के निर्माण के लिए किसी भी निधि का उपयोग नहीं किया गया है।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के घटकों में से एक के रूप में "समेकित शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना" स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य बागवानी एवं गैर-बागवानी उत्पाद के फसलोपरांत नुकसान को कम करना तथा किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करना है।

स्कीम के तहत, एमओएफपीआई ने वर्ष 2017-18 के दौरान दीमापुर, नागालैंड में 8.10 करोड़ रू. की सहायता से एक शीत श्रंखला परियोजना को मंजूरी दी है जिसे पूर्ण कर लिया गया है तथा यह कार्यशील है। वर्ष 2018-19 के दौरान 9.67 करोड़ रू. की सहायता से दीमापुर, नागालैंड में अन्य शीत श्रृंखला परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान एमओएफपीआई द्वारा नागालैंड के लिए किसी भी शीत श्रृंखला परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई थी।

******